प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 104/2025

आदेश सुरक्षित किया गया : 22.01.2025

आदेश पारित किया गया : 27.03.2025

चंद्र प्रसाद @चेंगटा पिता देवी प्रसाद घासिया 26 वर्ष ,निवासी गैराज दफाई, गेलहापानी, पुलिस थाना चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

---आवेदक

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य,पुलिस थाना के द्वारा,चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु : श्री अमरनाथ पांडे, अधिवक्ता

राज्य/ उत्तरवादी हेतु :सुश्री प्रभा शर्मा, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा ,न्यायाधीश

सीएवी आदेश

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण आवेदक द्वारा बीएनएसएस, 2023 की धारा 438 सहपठित धारा 442 के तहत पेश किया गया है, जो विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), चिरमिरी, जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण संख्या 11/2024 में पारित दिनांक 01.10.2024 (अनुलग्नक ए/1) के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत आवेदक के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 363, 366, 376(2)(i) और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप निर्धारित किया गया था।

2. इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 10/06/2024 को लगभग 03: 30 बजे, जब नाबालिग पीड़िता अपने घर के सामने खेल रही थी, अभियुक्त /वर्तमान आवेदक उसे पड़ोस में रहने वाले इंद्रपाल नामक व्यक्ति के पशुओं के कमरे में ले गया, जहां उसने उसके अंडरवियर उतार दिए और वह अपने हाथों से नाबालिग पीड़िता के निजी अंगों को छू रहा था। इसके अलावा, जब पीड़िता की दादी वहां पहुंची और चिल्लाने लगी, तो अभियुक्त /आवेदक मौके से भाग गया।इसके अलावा, जब पीड़िता की दादी वहां पहुंची और चिल्लाने लगी, तो अभियुक्त /आवेदक मौके से भाग गए।

3. अन्वेषण के पश्चात् , पुलिस ने आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366–ए, 376–ए, 376–बी और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप पत्र दायर किया। 01.10.2024 को, विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, चिरमिरी, जिला कोरिया (सी.जी.) द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 (2) (आई) और पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) के तहत आरोप निर्धारित किया गया, जो पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय है, इसलिए, आवेदक के विरुद्ध उपरोक्त आरोप निर्धारित करने के विरुद्ध यह दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिवक्ता ने आरोप पत्र में पुलिस द्वारा एकत्र की गई सामग्री की सराहना करने में गलती की और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) के तहत त्रुटिपूर्ण तरीके से आरोप निर्धारित किया, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की हाइमन यथावत थी और पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी, इसलिए आवेदक के विरुद्ध आरोप नहीं बनता है और आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध भा.दं. सं. की धारा 375 के तहत बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जो कि वर्ष 2018 के संशोधन के अनुसार धारा 376 (2) (i) (धारा 376 [3]) के तहत दंडनीय है।आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप धारा 376(2)(i) के तहत आने के लिए आवश्यक तत्व नहीं हैं।उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह उल्लेख करना उचित है कि आईपीसी की धारा 376 की उपधारा (2)(i) को हटा दिया गया है और इसे भा.दं. सं. की धारा 376 (3) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त धारा के तहत परिभाषित अपराध इस प्रकार है:

– "[(3) जो कोई सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा:"यह भी तर्क दिया गया है कि आरोपी/आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दंड का प्रावधान नहीं करते हैं, जो इस प्रकार है: – "गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमले के लिए दंड :

(1) जो कोई भी गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमला करता है, उसे कम से कम बीस वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और वह जुर्माना या मृत्युदंड से भी दण्डित किया जा सकता है।

5. इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय विशेष दाण्डिक प्रकरण संख्या 11/2024 में विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, चिरमिरी, जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 01.10.2024 के आदेश को, जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (i) (धारा 376 (3)) और पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) के तहत आरोप का संबंध है, न्याय के हित में अपास्त करने की कृपा करे।

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध किया और तर्क दिया कि घटना के समय, पीड़िता की उम्र लगभग 02 वर्ष और 09 महीने थी और आवेदक ने पीड़ित बच्चे को गलत तरीके से एक कमरे में बंद कर दिया और पीड़िता के अंडरवियर को हटाकर और उसके निजी अंगों को छूकर उस पर यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया और अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, आवेदक किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है और अंत में तर्क दिया कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जो उसे पूरी तरह से सुनवाई के लिए उजागर करने के लिए पर्याप्त है और प्रार्थना की कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने के लिए आरोप तैयार किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध आक्षेपित आदेश को अत्यंत सावधानी से पढ़ा है।

8. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 10 निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

"10. गंभीर यौन हमले हेतु दंड।जो कोई भी गंभीर यौन उत्पीड़न करता है, उसे कम से कम पांच वर्ष की कैद और सात वर्ष तक का दंड दिया जायेगा तथा जुर्माने हेतु भी उत्तरदायी होगा। ''

9. पीड़िता की दादी ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि 10.06.2024 को दोपहर करीब 3:00 बजे वह आलू खरीदने गेल्हापानी बाजार गई थी।उस समय गैराज दफाई गेल्हापानी निवासी चंदप्रसाद उर्फ चेंगटा ने अपनी पोती (पीड़िता) को अपने घर के सामने अपनी गोद में पाया। जब वह बाजार से घर लौटी तो उसकी पोती (पीड़िता) घर के पास नहीं थी। जब उसने इधर–उधर आवाज लगाई तो हमारे पड़ोसी इंद्रपाल के बकरी बांधने वाले कमरे से आवाज आई। जब उसने जाकर देखा तो पीड़िता का अंडरवियर खुला था और वह फर्श पर पड़ी थी। चंदप्रसाद उर्फ चेंगटा अपनी पोती के गुप्तांग में अपना लिंग डाल रहा था।उसी समय वह वहां पहुंची और शोर मचाया तो चांदप्रसाद उर्फ चेंगटा वहां से भाग गया। शोर सुनकर उसका पुत्र तथा बहू (पीड़िता के माता–पिता) और पड़ोसी आए और उसने उन्हें घटना के बारे में बताया। उसने आगे कहा कि उसकी पोती

(पीड़िता) को उसके घर के पास से अगवा कर लिया गया और चंदप्रसाद उर्फ चेंगटा (आरोपी) उसे नाबालिग जानकर बकरी वाले कमरे में ले गया और गलत काम किया।

10. वर्तमान मामले में, आवेदक–चंद्र प्रसाद उर्फ चेंगटा के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा गंभीर यौन उत्पीड़न, पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 363, 366, 376 (2) (आई) के तहत आरोप निर्धारित किया गया है। घटना के समय, पीड़ित बच्ची की उम्र लगभग 02 वर्ष और 09 महीने थी और वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी। घटना के दिन, नाबालिग पीड़िता अपने घर के सामने खेल रही थी, अभियुक्त /वर्तमान आवेदक उसे पड़ोस में इंद्रपाल नामक व्यक्ति के मवेशी वाले कमरे में ले गया, जहां उसने उसका अंडरवियर उतार दिया और वह अपने हाथों से नाबालिग पीड़िता के निजी अंगों को छू रहा था।

11. प्रकरण के तथ्यों और पीड़िता की दादी द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए, यह पता चलता है कि यदि पीड़िता की दादी ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो आवेदक के हाथों पीड़िता को निश्चित रूप से गंभीर नुकसान उठाना पड़ता। आवेदक के कृत्य से नाबालिग लड़की और उसके परिवार के जीवन पर बहुत ही गंभीर और अपूरणीय परिणाम हुए हैं और इसलिए, इस मामले में किसी भी तरह की नरमी की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जहां तक अभियुक्त/आवेदक द्वारा अपराध संख्या 165/2024 से उत्पन्न संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना का संबंध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राज्य बनाम बंगरप्पा {2001 (सीआरएम) 152, एआईआर 2001 एससी 222}** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि इस न्यायालय ने बताया है कि आरोप निर्धारित करने के चरण में न्यायालय को साक्ष्य के मूल्य या विश्वसनीयता का निर्धारण करके उसका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस चरण के दौरान सीमित अभ्यास यह पता लगाना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश की जाने वाली सामग्री न्यायालय मे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है या नहीं।इस चरण के दौरान सीमित अभ्यास यह पता लगाना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश की जाने वाली सामग्री अदालत के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है या नहीं।

13. इसके अलावा, भवानी बाई बनाम घनश्याम और अन्य {(2020) 2 एससीसी 217} के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप निर्धारित करने के चरण में, न्यायालय को यह देखना होगा कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। सामग्री का मूल्यांकन करते समय, सबूत के सख्त मानक की आवश्यकता नहीं है; अभियुक्त के खिलाफ केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहिए।

14. इस न्यायालय **ने अनिल टुटेजा और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में भी, 26/10/2021 को** निर्णय सुनाया है कि यह स्थापित सिद्धांत है कि आरोप निर्धारित करते समय, अभिलेख पर सामग्री के

सत्यापन मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

15. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को देखते हुए, अभियुक्त चंद्र प्रसाद उर्फ चेंगटा द्वारा अपराध संख्या 165/2024 से उत्पन्न संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिलेख से पता चलता है कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के निजी अंगों को छुआ था।विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सही ढंग से निर्धारित किया है, क्योंकि इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करना वाद को शुरू में ही रोकने के समान होगा, जो इस न्यायालय की सुविचारित राय में उचित नहीं है।विचारण न्यायालय ने आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निर्धारित करने में कोई अवैधता, कोई विकृति या कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि नहीं की है।इस न्यायालय का मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता और दुर्बलता नहीं है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.10.2024 (अनुलग्नक ए–1) के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

16. परिणामस्वरूप, अभियुक्त चंद्र प्रसाद उर्फ चेंगटा द्वारा दायर वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण, बिना किसी आधार के, खारिज किए जाने योग्य है तथा तदानुसार खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur